(5)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 22/2018/251–ए आरटीए

1. कन्हैयालाल पुत्र पुसाराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रार्थी

ब ना म

1. दिलीप सिंह }
2. राम सिंह } पुत्रगण महालसिंह।
3. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा–लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. पटवारी, पटवार हल्का भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
5. नायब तहसीलदार, लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
6. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

——अप्रार्थीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री आनन्द राड़ वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य

दिनांक – 13.08.2019

1. आवेदन का संक्षिप्त में सार इस प्रकार से है कि प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 10 रकबा 3.00 हैक्टर, वाके ग्राम भीमा में आने जाने हेतु प्रार्थी की उक्त भूमि के उत्तरी पूर्वी कोने सें शुरू होकर अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 2.53 हैक्टर में सें पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 6 मीटर चौड़ा व 90 मीटर लम्बा रास्ता आगे दक्षिण दिशा की तरफ मुख्य ग्रेवल सड़क में मिलता हुआ रास्ता जिसको संलग्न नक्शे में मार्क" ए सें बी" दर्शाया गया है, चाहता है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है उक्त वर्णित कृषि भूमियां एक ही पटवार हल्का में है प्रार्थी को अपने खेत में पहुंचने हेतु अप्रार्थी की भूमि में सें बताए गये रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग सें पूर्णतया वंचित रह जाएगा। अतः आवेदन अंतर्गत धारा 251 ए आरटीए पेश कर अंत में प्रार्थी द्वारा यह इस्तदुआ चाही गई कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 3.00 हैक्टर ग्राम भीमा पटवार हल्का भीमा तहसील

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

दांतारामगढ के उपयोग उपभोग हेतु वांछित एकमात्र रास्ता जो खसरा नम्बर 9 रकबा 2.53 हैक्टर में सें पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 6 मीटर चौड़ा व 90 मीटर लम्बा अर्थात् कुल क्षैत्रफल 540 वर्गमीटर का रास्ता आगे दक्षिण दिशा में मुख्य ग्रेवल सड़क में मिलता हुआ आवेदित रास्ता दिलवाने की कृपा करें।

2. आवेदन पेश होने पर आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 की ओर सें वकील श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत हाजिर आये तथा शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अप्रार्थी सं0 2 दौराने बहस हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा बहस एकपक्षीय सुनी गई। नायब तहसीलदार लोसल तहसील दांतारामगढ सें मौका रिपोर्ट एवं डीएलसी दर सहित रास्ते संबंधी विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 3.00 हैक्टर है एवं खसरा नम्बर 9 रकबा 2.53 हैक्टर की खातेदारी दिलीप सिंह पुत्र महालसिंह हि0 1/2 राहिन रामसिंह पुत्र महालसिंह हि0 1/2 के नाम दर्ज है। वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 10 में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है। अतः ग्राम भीमा के खसरा नम्बर 9 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे उत्तर सें दक्षिण की ओर 112 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल 448 वर्गमीटर या 0.0448 हैक्टर है। इसके नजदीकी कोई रास्ता नहीं लगता है। रिपोर्ट के साथ डीएलसी दर के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया। मार्गदर्शन दिये जाने पर उप–पंजीयक लोसल सें डाएलसी दर संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार रास्ते के लिए 0.448 हैक्टर भूमि प्रस्तावित की गई है जिसकी डीएलसी दर 345672 रूपये प्रति हैक्टर है। जिससें 0.448 हैक्टर की मालियत 15486 रूपये बनती है जिसकी दुगुनी राशि 30,972 रूपये बनती है।

3. आवेदन अंतर्गत धारा 251ए आरटीए पर बहस सुनी गई, बहस पर मनन पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जाना अत्यंत आवश्यक है तथा प्रार्थी की भूमि में जाने हेतू आवेदित रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। रास्ते के कुल क्षैत्रफल 0.448 हैक्टर भूमि की डीएलसी दर के अनूसार 15,486 रूपये बनती है जिसकी दुगुनी कीमत 30,972 रूपये बनती है। आवेदित भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 2.53 हैक्टर में सें रकबा 0.0448 हैक्टर की कीमत 30,972 रूपये खातेदारान को दिया जाना है। अतः आवेदित रास्ते की आवश्यकता तथा प्रार्थी के हित निहित को देखते हुए प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खसरा नम्बर 10 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 9 रकबा 2.53 हैक्टर में सें रकबा 0.0448 हैक्टर भूमि

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

(6)

को सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग किये जाने हेतु सिवाय चक गैर मुमकिन रास्ता के रूप में कायम किये जाने हेतु नायब तहसीलदार लोसल तह0 दांतारामगढ जिला सीकर को आदेश दिये जाते है कि ग्राम त्रिलोकपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खसरा नम्बर 9 रकबा 2.53 हैक्टर में सें रकबा 0.0448 हैक्टर की कीमत प्रार्थीगण सें प्राप्त कर राजकोष में जमा होने के पश्चात प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 10 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 9 रकबा 2.53 हैक्टर में सें 448 वर्गमीटर (0.0448 हैक्टर) को मौके पर नपती की जाकर सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावे। नायब तहसीलदार लोसल तह0 दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पटवारी हल्का के साथ मौके पर जाकर उक्त मौके पर निशादेही की जाकर आवश्यक होने पर पुलिस इमदाद ली जाकर दर्ज गैरमुमकिन रास्ता सिवायचक राज. सरकार को चालू करवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner